क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

13/01/2022

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

म्यूटेशन रिविजन 48/2014
रामवृत नारायण ओझा बनाम् दिनेश उपाध्याय

आदेश

प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्ता, राँची द्वारा विविध अपील–08 R-15/13-14 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विपक्षी के दायर अपील आवेदन को मान्य करते हुये भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से विविध वाद संख्या–48/13–14 में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा खाता नम्बर–52, प्लॉट नम्बर–352, रकबा–1.83 एकड़ एवं प्लॉट नम्बर–486, रकबा–0.49 एकड़ ग्राम–मालटोली, अंचल–माण्डर के जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुये निरस्त कर दिया गया एवं उभय पक्षों को अपने स्वामित्व एवं अधिकार के लिये व्यवहार न्यायालय जाने हेतु आदेश पारित किया गया।

प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन म्यूटेशन पुनरीक्षण के रूप में दायर किया गया है, जबकि यह विषय जमाबंदी संधारण से संबंधित है। म्यूटेशन के नियमों के अनुसार अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील तथा उपायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर करने का प्रावधान है। उक्त नियम में द्वितीय पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नगत् वाद दायर करने के पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–11.07.2016 को एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें इस वाद को वापस लेने की अनुमति मांगी गयी, किन्तु दिनांक–28.08.2017 के पश्चात् आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है, जिस कारण इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। स्पष्टतः यह पुनरीक्षण आवेदन विचार योग्य नहीं है तथा आवेदक द्वारा इसे वापस लेने हेतु अनुरोध भी किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त।

आयुक्त।

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 17:24:36 +05:30
Location: 192.168.1.140